संख्या-52/2019/1206/छप्पन-2019-108क्यू/1981

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 22 जुलाई, 2019

विषय : उत्तर प्रदेश सरकार के विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग हेतु क्रेडिट फैसिलिटी प्राप्त किए जाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए प्रत्याभूति हेतु व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-94/2017/1541/छप्पन-17-108क्यू/81 दिनांक 30 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या- 57/2018/962/ छप्पन-18-108क्यू/81 दिनांक 11 जून, 2018 के क्रम में अपने पत्र संख्या- 167/ना0उ0नि0/प्र0 भूति/एएआई/लखनऊ, दिनांक 13 जून, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर उत्तर प्रदेश सरकार के 06 वायुयानों/हेलीकाप्टरों को लैंडिंग एवं पार्किंग हेतु क्रेडिट फैसिलिटी की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रति वायुयान रू0 3.00 लाख की प्रत्याभूति जमा किए जाने की मांग की गई है, इस प्रकार 06 वायुयानों/हेलीकाप्टरों हेतु कुल रू0 18.00 लाख प्रत्याभूति की धनराशि जमा की जानी है, जिसमें से उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा रू0 14.63 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा अवशेष रूपये 3,37,000/- (रूपये तीन लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि प्रत्याभूति के रूप में और जमा की जानी है। उक्त धनराशि को प्रत्याभूति के रूप में जमा किए जाने के पश्चात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लैंडिंग एवं पार्किंग हेतु क्रेडिट सुविधा दी जायेगी। अत: श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2019-20 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के वायुयानों/हेलीकॉप्टरों के लिए लैंडिंग एवं पार्किंग हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रूपये 3,37,000/- (रूपये तीन लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि प्रत्याभूति के रूप में जमा करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक '8674-सरकार द्वारा की गई प्रत्याभूति जमा-101-सरकार द्वारा की गई प्रत्याभूति-जमा-02-प्रत्याभूति जमा-01- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कार्नेट्स के लिए प्रत्याभूति जमा' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-512/दस-2019, दिनांक 26 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0सं0 : 52/2019/1206(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।